भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 917
उत्तर देने की तारीख- 04.12.2025

किशी/विश्धा/चासोट को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

†917. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को ज्ञात है कि बिहार राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 15.05.2008 के माध्यम से किसान समुदाय के पर्याय के रूप में किशी/विश्धा/चासोट को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी और भारत के महा रजिस्ट्रार ने इसका समर्थन किया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मालदा जिले का एक हिस्सा ऐतिहासिक रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का हिस्सा था और एक ही जातीय समूह से संबंधित कई चासोट व्यक्ति मालदा जिले में निवास करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में निवासरत चासोट समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा एवं संबंधित विशेषाधिकार प्रदान करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार एवं भारत के महारजिस्ट्रार के परामर्श से पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने हेतु इस मुद्दे की जांच करने के लिए कदम उठाएगी?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुनः संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

बिहार राज्य सरकार से कृषि वैश्य/चसोट को किसान समुदाय के पर्यायवाची के रूप में बिहार की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव 2008 में प्राप्त हुआ था। अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार, उस प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक के कार्यालय (ओआरजीआई) को भेज दिया गया। तथापि, ओआरजीआई ने दो अवसरों पर, वर्ष 2008 और 2013 में, प्रस्ताव की जाँच की और उसका समर्थन नहीं किया। तदनुसार, मौजूदा प्रविधियों के पैरा (एफ) के अनुसार, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और इसकी सूचना बिहार सरकार को दे दी गई।

*****